BULANDSHAHR POLICE

दिनांक- 01 अगस्त 2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर स्याना हिंसा के 05 आरोपियों को आजीवन कारावास व 52,000/- रूपये व 33 अभियुक्तो को....... के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। बुलन्दशहर पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना स्याना पर पंजीकृत मुअसं- 583/18 धारा 147, 148, 149, 332, 333, 341, 336, 436, 427, 109, 307, 395, 412, 302 भादवि व 07 क्रि0ला0 एक्ट व ¾ सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में आज दिनांक 01.08.2025 को न्यायाधीश श्री गोपाल जी (माननीय न्यायालय एडीजे -12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा इस प्रकरण में विचारण करते हुए दिन प्रति दिन ट्रायल कर साक्ष्यों के आधार पर 38 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 52,000/- रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

घटना क्रमः-

दिनांक 03.12 2018 को थाना स्याना क्षेत्रान्तर्गत चौकी चिंगरावटी के पास अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर सडक जाम कर दी गयी थी। थाना स्याना पुलिस द्वारा जाम खुलवाने का प्रयास करने पर पुलिस पर पथराव व फायरिंग करते हुए पुलिस चौकी में आग लगा दी गयी थी एवं तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना श्री सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर उनकी सरकारी पिस्टल व मोबाइल लूट लिया गया था। घटना की गम्भीरता को देखते हुए S.I.T. का गठन किया गया था। S.I.T. द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए कुल 43 अभियुक्तों व 01 बाल अपचारी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किए गया था। विचारण के दौरान 05 अभियुक्तों की मृत्यु हो गयी एवं बाल अपचारी के विरुद्ध मा0 न्यायालय किशोर बोर्ड बुलन्दशहर में वाद विचाराधीन हैं।

अभियुक्त योगेश राज , राहुल, डेविड, जोनी व लोकेन्द्र उर्फ मामा की जमानत मा0 उच्च न्यायालय से हो जाने के बाद पुलिस व अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गयी जिस पर सुनवाई करते हुए **मा0 सर्वोच्च न्यायालय** ने अभियुक्त योगेश राज ,राहुल,डेविड,जोनी व लोकेन्द्र मामा की जमानत को खारिज करते हुए पुनः जेल भेजने का आदेश दिये गये तथा विचारण न्यायालय को पत्रावली में प्रतिदिन सुनवाई करने के निर्देश दिये गये।

विचारण के दौरान मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त 1.प्रशान्त नट को धारा 147, 148, 149, 332, 333, 341, 336, 436, 427, 109, 307, 395, 412, 302 भादवि व 07 क्रि0ला0 एक्ट व ¾ सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, अभियुक्त **2. राहुल, 3. डेविड, 4. लोकेन्द्र उर्फ मामा, 5. जोनी को** धारा 147, 148, 149, 332, 333, 341, 336, 436, 427, 109, 307, 395, 302 भादवि व 07 क्रि0ला0 एक्ट व ¾ सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम दोषी मानते हुए........ की सजा से दंडित किया गया तथा शेष 33 अभियुक्तों को धारा 147, 148, 149, 332, 333, 341, 336, 436, 427, 109, 307 भादवि व 07 क्रि0ला0 एक्ट व ¾ सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम मे दोषी मानते हुए .... की सजा से दंडित किया गया है।

आजीवन कारावास पाने वाले अभियुक्त-

1. प्रशान्त नट पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम चिगरावटी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर
2. राहुल पुत्र भीमसैन निवासी ग्राम हरवानपुर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर
3. डेविड पुत्र महीपाल निवासी ग्राम चिगरावटी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
4. लोकेन्द्र उर्फ मामा पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम चिगरावटी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
5. जोनी पुत्र सुशील निवासी ग्राम चिगरावटी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

.... पाने वाले अभियुक्त-

1. योगेशराज पुत्र सूरजभान 2. चमन पुत्र देवेन्द्र 3. देवेन्द्र पुत्र रामबल निवासी ग्राम नयाबास थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 4. आशीष चौहान पुत्र महेश चौहान निवासी ग्राम रवानी कटीरी थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर 5. रोहित कुमार राघव पुत्र रामौतार राघव निवासी बरोली वासुदेवपुर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 6. जितेन्द्र उर्फ लाला गुर्जर पुत्र दलेल सिंह निवासी चिंगरावटी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 7. सोनू पुत्र सुखपाल जाटव निवासी नयाबांस थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 8. जितेन्द्र उर्फ जीतू उर्फ फौजी पुत्र राजपाल निवासी महाव थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 9. नितिन पुत्र स्व० ब्रजेश 10. मोहित पुत्र बिजेन्द्र 11. रमेश जोगी पुत्र चुन्ना जोगी निवासीगण चिगरावटी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 12. विशाल त्यागी पुत्र सुरेन्द्र त्यागी निवासी स्याना जनपद बुलन्दशहर 13. हेमू उर्फ हेमराज पुत्र नवाब 14. अकुर पुत्र वीरेन्द्र 15. अन्टी उर्फ अमित पुत्र उदयवीर उर्फ उददू 16. आशीष पुत्र अशोक निवासीगण ग्राम चिंगरावटी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 17. हरेन्द्र पुत्र सुखपाल 18. टिंकू उर्फ भूपेश पुत्र अशोक 19. गुड्डू उर्फ मुकेश पुत्र ब्रहम सिंह 20. सचिन जाट पुत्र वीरेन्द निवासीगण महाव थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 21. सतेन्द्र राजपूत पुत्र ब्रहम सिंह निवासी ग्राम लांगा थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 22. सतीश पुत्र चन्द्रभान लोधी निवासी चदपुर पुटठी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 23. विनीत पुत्र नरेन्द्र जाट निवासी महाव थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 24. राजीव कुमार उर्फ कलवा पुत्र दलवीर जाट निवासी ग्राम चिगरावटी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 25. सचिन उर्फ कोबरा पुत्र अजय जाट निवासी ग्राम हरवानपुर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 26. पवन कुमार पुत्र जयप्रकाश लोधी निवासी हरनाम पटटी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 27. शिखर अग्रवाल पुत्र रजीत अग्रवाल निवासी जवाहर गंज बुगराशी रोड कस्बा व थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 28. उपेन्द्र राघव पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी गिनौरा नगली थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर हाल बरौली वासुदेवपुर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 29. सौरभ पुत्र यशवीर उर्फ जसवीर निवासी खाद मोहननगर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 30. राजकुमार पूर्व प्रधान पुत्र त्रिलोक 31. कलुवा पुत्र बाबूराम निवासीगण ग्राम महाव थाना स्याना बुलन्दशहर 32. नितिन पण्डित पुत्र व्यास पन्डित निवासी कस्बा व थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 33. जयदीप पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम चिंगरावटी थाना स्याना जिला बुलन्दशहर।

समय सारणीः-

घटना का दिनांक- 03.12.2018
एफआईआर का दिनांक - 04.12.2018
आरोप पत्र का दिनांक - 01.03.2019
आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल होने का दिनांक - 03.03.2019
आरोप पत्र पर मा0 न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान - 05.03.2019
मा0 न्यायालय में चार्ज फ्रेम का दिनांक - 21.01.2022
मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का दिनांक - 30.07.2025
मा0 न्यायालय द्वारा सजा का दिनांक - 01.08.2025
कुल परिक्षित गवाह- 26

महत्वपूर्ण योगदान-

एसआईटी/विवेचक-

1. क्षेत्राधिकारी श्री राघवेन्द्र मित्रा
2. निरीक्षक श्री उदयवीर सिंह क्राइम ब्रान्च
3. निरीक्षक गिरीशचन्द्र सेठ क्राइम ब्रान्च
4. निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार गोड
5. उ0नि0 श्री विजेन्द्र शर्मा

अभियोजक-

1. श्री यशपाल राघव

मॉनीटरिंग सैल जनपद बुलन्दशहर-

1. श्री यशपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक मॉनीटरिंग सैल
2. उ0नि0 राशिद अली पैरोकार थाना स्याना
3. का0 वासु पैरोकार थाना स्याना
4. का0 अरविन्द कोर्ट महोर्रिर

मीडिया सेल बुलन्दशहर